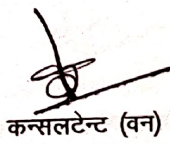


प्रारूप-47

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्मप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण ।

- प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं०- 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा Linear परियोजनाओं को ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से छूट दी गयी है।


कन्सलटेन्ट (वन)

रेल विकास निगम लि०

ए. के. शर्मा / A. K. SHARMA

संयु. महाप्रबंधक वन विशेषज्ञ/ JGM Forest Ex,
रेल विकास निगम लि०/ Rail Vikas Nigam
भारत सरकार का उपक्रम/ A Govt. of India Enterprise
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh





मुख्य परियोजना प्रबंधक
हिमांशु बडोनी / HIMANSHU BADONI
मुख्य परियोजना प्रबंधक/ की ओर से
रेल विकास निगम लि०/ Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 243201